

—:: कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु तिथियों में परिवर्तन की सूचना::—

वर्ष 2021-22 के लिये निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदनों के अभिलेखों के सत्यापन तथा लॉटरी की तिथियों में संशोधन कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक./नि.क.हाय.केन्द्र/2021-22/1214 दिनांक 02.08.21 द्वारा किया गया था। वर्तमान में प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी होने के कारण जिला कार्यालयों द्वारा अवगत कराया गया है कि बहुत कम संख्या में हितग्राही सत्यापन हेतु उपस्थित हो पाये हैं तथा कई हितग्राहियों द्वारा अभिलेख सत्यापन की तिथियों को बढ़ाने का निवेदन भी किया गया है। अतः प्रदेश में वर्तमान स्थिति को देखते हुये अभिलेख सत्यापन तथा अन्य तिथियों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जा रहा है -

1	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	-	दिनांक 18 अगस्त 2021 तक कार्यदिवसों में प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक शेष रहे आवेदक अपने अभिलेखों का सत्यापन करा सकेंगे।
2	जिलेवार प्राथमिक सूचियों का लॉटरी पद्धति से निर्धारण	-	दिनांक 20 अगस्त 2021 को प्रातः 11.00 बजे से जिलों से संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री के मुख्यालयों में। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिक सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 21 अगस्त 2021 से देखी जा सकेंगी।

संभाग में लॉटरी से चयनित आवेदकों हेतु दिनांक 25 अगस्त 2021 को कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर कस्टम हायरिंग केन्द्रों हेतु प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधी एक दिवसीय मार्गदर्शी शिविर का आयोजन किया जायेगा। लॉटरी से चयनित आवेदकों को सी.ए. के माध्यम से बनाये गये अपने प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में मार्गदर्शी शिविर के आगामी 10 दिवस में प्रस्तुत किये जाने होंगे, जिसकी अन्तिम तिथि 06 सितंबर 2021 है।


संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल